

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 रा0उ0प्रा0वि0 सौलकियों की बस्ती (वांकलपुरा)

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
तारुराम पुत्र अणदाराम जाति		1. जेताराम पुत्र मेहराजराम 2.
मेघवाल निवासी महाबार पीथल		डाऊराम पुत्र उमाराम 3. कैलाश पुत्र
तहसील व जिला बाड़मेर		उमाराम 4. मोहन पुत्र उमाराम 5.
		शान्ती पत्नी बाबुराम जातियान
		मेघवाल निवासी महाबार पीथल
		तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत् राजस्व आवेदन संख्या-90/2021 दिनांक-19.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा महाबार पीथल पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 558/1 रकबा 57.15 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नहीं करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 22/11/2021

क्रमांक/रीडर/2021/6441-6444

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी महाबार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी तारुराम पुत्र अणदाराम जाति मेघवाल निवासी महाबार पीथल तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थी जेताराम पुत्र मेहराजराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी महाबार पीथल तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर